अडानी की सम्पूर्ण सम्पत्ति को राजसात कर नीलाम करें सरकार।

गौतम अडानी के खिलाफ, मनीलान्ड्रिग, हेरा फेरी, विश्वासघात, राष्ट्रद्रोह तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 कि उपधारा 4 तथा 15 के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तथा अडानी की सम्पूर्ण सम्पत्ति को राजसात कर नीलाम करें सरकार।

- एड. आराधना भार्गव

अडानी गुजरात में हीरे का व्यापारी था, कच्चा हीरा विदेश से लाकर उसे तरासने का काम भारत में करके व्यापार करता था, अचानक उसकी सम्पत्ति कैसे बढ़ गई कि वह दुनिया के रहीसों की सूची में दूसरे नम्बर पर आ गया, आखिर ये सम्पत्ति आई कहाँ से ? इसे देशवासियों को समझना आवश्यक है। छिन्दवाड़ा में अडानी पेंच पाॅवर प्रोजेक्ट डालते समय उसने अपनी कम्पनी की पूँजी 10 लाख रूपया बताई थी। गौतम अडानी का बड़ा भाई विनोद अडानी जो वर्तमान में माॅरीसस में रहता है और माॅरीसस की ही उसकी नागरिकता है। माॅरीसस में उसने 80 शेल कम्पनीयाँ बना रखी है। यह समझना आवश्यक है कि शेल कम्पनीयाँ होती क्या है ? और क्यों बनाई जाती है ? शेल कम्पनी जिसे हम बोलचाल की भाषा में फर्जी कम्पनी या सिर्फ कागज पर बनी कम्पनी कह सकते हैं, जिसकी कोई पूँजी नही होती। शेल कम्पनी में पैसा डालकर फिर उस पैसे को अपनी कम्पनी में वापस खरीद कर शेयर के भाव बढ़ाकर/गिराकर अपनी कम्पनी को लाभ पहुँचाना। ऐसा क्यों करते हैं ? ताकि गलत तरीके से या अपराधिक तरीके से जो पैसा कमाया गया है, जिस पर सरकार को टैक्स नही दिया जाता इस प्रक्रिया से काले धन को सफेद किया जाता है। धन शोधन या मनीलान्ड्रिग काले पैसे की धुलाई करके सफेद पैसा बनाने की प्रक्रिया को ही मनीलान्ड्रिग कहते है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मनीलान्ड्रिग के मामले में जेल भेजा गया है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने माॅरीसस में 80 शेल कम्पनीयाँ बनाई है, जिसमें महाराष्ट्र मुम्बई में विद्युत परियोजना के लिए सामान मंगाया और उसी सामान को अडानी की कम्पनी को 4 गुना ज्यादा कीमत पर बेच दिया और फिर पैसा माॅरीसस में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की शेल कम्पनी के पास गया। गौतम अडानी दुनिया के रहीसों के सूची में दूसरे नम्बर के व्यक्ति बताये जा रहे हैं। तो फिर सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को देते होंगे, किन्तु सच्चाई यह नही है। देश के दस टाॅप पर रहने वाले व्यक्ति या कम्पनीयाँ जो देश को सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान करती है उस में अडानी का नाम नही हैं। इससे स्पष्ट है कि दुनिया के दूसरे नम्बर के रहीस या धनी होने के पश्चात् भी उसने टैक्स की चोरी की है उन पर मनीलान्ड्रिग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

अडानी दुनिया के धनी व्यक्तियों की सूची में दूसरे नम्बर पर था तो शायद दुनिया यह समझ रही होगी कि इससे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा होगा। और देश के युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए अडानी की तरफ अपनी निगाहें गढ़ाये बैठे हैं। उसमें से कुछ तो अडानी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो इसकी वकालत करते भी दिखाई दे रहें हैं, पर यह जानकर देश को अश्चार्य होगा कि अडानी सिर्फ 23 हजार लोगों को ही नौकरी देता है। भारत के 10 बड़ी कम्पनीयाँ जो देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है जिसमें सबसे उपर रतन टाटा का नाम है और इस सूची मंे गौतम अडानी का नाम नही है, इससे स्पष्ट होता है कि शेल कम्पनी के माध्यम से ही काले पैसे को ही सफेद करने का काम किया जा रहा हैै, और इसीलिए शेल कम्पनी बनाई ही गई है, जिसमें ना कर्मचारी रखने की आवश्यकता है और ना आॅफिस या स्थान बनाने की आवश्यकता है। विकीपिडिया ने अडानी पर आरोप लगाया है कि करीब 1 दशक से अडानी समूह को लेकर अलग अलग प्लेट फार्म पर बढ़ा चढ़ा कर लिखा और कहा हैं, और उसने अडानी को साक पपिट तक कहा है। साक पपिट (इन्टरनेट पर सक्रिय ऐसे फर्जी एकउन्टस को कहते है जो ब्लाग, फोरम, विकीपिडिया और फेसबुक या टूविटर जैसे साोशल नेटवर्किग प्लेट फार्म का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति या मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करते है।) जनवरी 2023 में स्टाॅक हेरफेर और धोखाधड़ी के बाद अडानी के व्यक्तित खातों में 73 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह शिकायत टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा ने भारत की ससंद में दर्ज कराई कि अडानी ने शेल कम्पनी बनाकर शेयर की हेराफेरी की है। मनीलान्ड्रिग के और क्या सबूत चाहिए सरकार को, यह सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। अडानी ने कहा कि हम व्यापार करने के लिए 20 हजार करोड़ रूपये पब्लिक से लेंगे, 1, 2 दिन तो पब्लिक से कुछ पैसा आया और बाद में अचानक से 20 हजार करोड़ रूपये प्राप्त हो गया की घोषण कर दी, यह पैसा भी शेल कम्पनी से ही आया है और इसी कारण अडानी के शेयर बाजार में ऊँची कीमतों पर रहे। अडानी ने इस प्रकार बाजार को मैनीपुलेट करके निवेशकों के साथ बड़ा धोखा किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि एक सरकारी संस्थान है। जो अपना एक स्लोगन देता है ‘‘जीवन के साथ भी’’ ‘‘जीवन के बाद भी’’ और भारतीय जीवन बीमा निगम में भारत के गरीबों का ही पैसा होता है। एक समय था जब भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश को सरकार चलाने के लिए कर्ज भी उपलब्ध कराता था, इससे स्पष्ट था कि भारत की जनता के पैसे से ही सरकार कर्ज लेकर देश का विकास करती थी, और ब्याज की राशि भी कम थी, ब्याज की राशि रूपयों में ही वसूल की जाती थी। वल्र्ड बैंक से कर्ज नही लिया जाता था, अब सरकार जीवन बीमा निगम के पैसे को अडानी के शेयर बाजार में लगवा रही है, तथा वल्र्ड बैंक से कर्जा लेकर डाॅलर में ब्याज की राशि पटा रही है। एलआईसी के 30 हजार करोड़ रूपया अडानी के शेयर मार्केट में लगा दिये, शेयर गिरने पर 27 हजार करोड़ रूपया कीमत हो गई, एक झटके में ही 3 हजार करोड़ रूपये का भारत की जनता को नुकसान हो गया, किन्तु भारत सरकार के कानों पर जूँ तक नही रेंग रही है। एलआईसी के शेयर

अडानी से वापस लेने का कोई इरादा सरकार का दिखाई नही दे रहा है। आस्ट्रेलिया में सरकारी कर्मचारियों का पैसा अडानी के शेयर मार्केट में लगाया गया था जिसे सरकार ने वापस ले लिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है, सांथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशक को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्केम के खिलाफ मद्द प्रदान करती है, निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा ने आवाज उठाते हुए कहा था कि अडानी ने शेल कम्पनी बनाकर अपने शेयर में हेराफेरी की है, इसकी जाँच सेबी के कराई जानी चाहिए। किन्तु टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा जी की बात पर सरकार ने सेबी को जाँच के आदेश नही दिये। वरिष्ट पत्रकार परांजय गुहा, ठाकुरता ने अडानी द्वारा बिजली प्रोजेक्ट पर तथा अडानी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, हेराफेरी, आदिवासीयों की जमीन हड़प्पने, कोयले की खदान पर आबंटन के लिए बनाये नियमों के शिथलीकरण करने तथा माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा कोयले की खदानों के आबंटन को निरस्त करने के पश्चात् भी सिर्फ अडानी को ही कोयले की खदान आबंटित किये जाने पर प्रश्न उठाये तथा अखबारों में छापा तो परांजय गहा, ठाकुरता के खिलाफ 6 मानहानी के मुकदमें दर्ज करा दिये गये तथा समीक्षा ट्रस्ट से उन्हें नौकारी से भी निकलवा दिया तथा परांजय गुहा, ठाकुरता की आवाज को दबा दिया गया।

वरिष्ट पत्रकार परांजयगुहा ठाकुरता

जैसे ही हिंडबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ आई पूरी दुनिया में तहलका मच गया, लोकसभा में विपक्षी दल ने प्रश्न भी उठाये, सरकार ने उन प्रश्नों को लोकसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया। देश के अखबारों में हिंडबर्ग की रिपोर्ट का कोई जिकर देखने को नही मिला। प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे अडानी तथा उसके मित्र चलाते है उसमें अडानी के खिलाफ आवाज उठने का तो प्रश्न ही पैदा नही होता। 24 जनवरी 2023 से लगातार अडानी का कागज का महल गिरना शुरू हो गया। हिंडबर्ग की रिपोर्ट आने के पश्चात् अडानी द्वारा देश और दुनिया में शेल कम्पनी बनाकर किस तरीके से ठगा गया, यह दुनिया के सामने आ गया। जिसका असर भारत की अर्थव्यवसस्था पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा। गुजरात में 4 बन्दरगाह तथा अन्य राज्यों में पोट्स (बन्दरगाह) दिये गये, अडानी को पोट्स के लिए जो जमीन दी गई है वह 32 रूपये स्केयर फिट दी गई है जो जमीन का बड़ा घोटाला है जिसकी जाँच गुजरात सरकार को करानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नही ले सकता, किन्तु झारखण्ड में आडानी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए जो थर्मल पॉवर बनाने के लिए गोड्डा में जमीन छीनी गई जो कि आदिवासी की जमीन थी जिसे बिना किसी मुआवजा दिये आदिवासीयों से छीन ली गई, उसी प्रकार छिन्दवाड़ा में सन 1986-87 में छिन्दवाड़ा जिले के चैसरा ग्राम में पेंच पॉवर प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई, किन्तु सरकार द्वारा थर्मल पॉवर नही बनाया गया। सन् 2010 में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नियम और कानून ताक में रखकर उक्त जमीन अडानी को बेच दी गई, जो जमीन थर्मल पॉवर के अन्दर नही थी जो आदिवासीयों की थी जिस पर 24 घण्टे पानी था, डरा धमका कर गुण्डागर्दी तथा पुलिस का दबाव बनाकर अपने कब्जे में गौतम अडानी ने कर ली। सार्वजनिक रास्ते, सार्वजनिक पीने के पानी के स्त्रोत, शमशान घाट, पर कब्जा कर लिया तथा अपने पेहरेदार बिठा दिये। किसान संघर्ष समिति अडानी के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही। अडानी ने किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम् जी एवं एड. आराधना भार्गव पर प्राण घातक हमला किया, किन्तु किसानों के संघर्ष के सामने गौतम अडानी को घुटने टेकने पड़े, आज दिनांक तक अड़ानी पॉवर प्लांट की एक भी ईंट नही रखी जा सकी, किन्तु गौतम अडानी ने गुण्डा गर्दी तथा शासन की मदद् से रातों रात जमीन पर अपना नाम चढ़वा लिया। छोटे झाड के जंगल की भूमि पर बिल्डिंग निर्माण करा लिया जिसे 1 महा के अन्दर तोड़ने का आदेश तथा 6 लाख रूपये का जुर्माना देने का आदेश भी हुआ। इस कारण गौतम अडानी पर अनूसूचि जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा 3 की उपधारा 4 तथा उपधारा 15 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।

(किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक डाॅ. सुनीलम् एवं मुझ पर अडानी के गुण्डों द्वारा 22 मई 2011 को किये गये हमले के पश्चात्, आजादी बचाओं आन्दोलन के नेता बनवारीलाल पुरोहित)

अडानी को भारत सरकार ने 6 हवाई अड्डे प्रदान किये गये हैं। अडानी के पास हवाई अड्डे चलाने का कोई अनुभव नही है। हवाई अड्डे लाभ में चल रहे थे उन्हें निजी हाथों में देने के लिए सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन कर दिये गये। 2018 में पहला फेर बदल किया गया कि हवाई अड्डे किसी को भी दिये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी दिये जा सकते है जिन्हें हवाई अड्डा चलाने का कोई अनुभव ना हो, याने अनुभव की आवश्यकता को नियमों से विलोपित कर दिया गया। दूसरा कोई व्यक्ति कितनी भी हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है याने संख्या का विलोपन कर दिया गया। विपक्षी दल ने आवाज उठाई परन्तु आवाज नही सुनी गई, किन्तु विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठने लगे और सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक कहा कि अडानी स्वयं के बैनिफिट के लिए काम करता हैं, उसे देश के बैनिफिट से कुछ लेना देना नही है तथा अडानी की सम्पूर्ण सम्पत्ति जप्त कर उसकी नीलामी सरकार को करना चाहिए। पाॅवर प्लाॅट में उपयोग होने वाले कोयले के नियम में भी परिवर्तन किया गया जो परिवर्तन किया गया वह मुख्य था देश के कोयले के साथ 10 प्रतिशत विदेशी कोयले को भी थर्मल पाॅवर में भी उपयोग होना चाहिए, क्योकि गौतम अडानी आस्ट्रेलिया से कोयला लेकर अपने पोट्स से गोवा में डम्प कर थर्मल पाॅवर में पहुँचा रहा था, जिससे देश को मेंहगा कोयला लेना पड़ा, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अडानी पर दर्ज होना चाहिए। सरकारी बैंकों से अडानी को कर्ज दिलाने में सरकार की अहम भूमिका रही। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आॅफ बढ़ौदा, आदि से 52,580 करोड़ रूपया का कर्ज अडानी को दिया गया। अडानी इन्टर प्राईज सबसे ज्यादा कमाई करता है।

वासिंगटन पोट्स ने लिखा है कि शेख हसीना जी, नरेद्र मोदी के मित्र को बिजली के एग्रीमेन्ट करने से नही रोक सकती। बांग्लादेश में 8.40 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी से बिजली खरीदने का सौदा हुआ था, किन्तु जनता के संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह प्रोजेक्ट असफल हो गया। सीमेन्ट के कारोबार से भी अडानी मुख्यतौर पर जुड़ा है, रियल स्टेट के क्षेत्र में भी अडानी उतरा हुआ हैं, मुम्बई की सबसे घनी बस्ती धारावी इसका जीता जागता उदारण है। खाने के तेल पर भी अडानी का कब्जा है, फार्चुन तेल अडानी का ही ब्रांड है, 67 प्रतिशत गुजरात में फार्चुन तेल ही खाया जाता है। बाजार में अन्य ब्रांड के तेल गायब कराने में अडानी की अहम भूमिका हैं। दाल, चीनी, सेवफल, का व्यापार अडानी का फल फूल रहा है, सड़क बनाने के काम तथा गैस का व्यापार भी दुनिया में भारत सरकार की मद्द से गौतम अडानी चला रहा है, सौलर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट भी अडानी को दिये गये है। एनडीटीवी जिसे देश के दर्शक पसन्द करते थे विशेषतौर पर रवीश कुमार जी का प्राईम टाईम सबसे ज्यादा पसन्द किया जाता था उसे भी खरीदने का काम अडानी द्वारा किया गया।

रजत शर्मा द्वारा आपकी अदालत नामक कार्यक्रम में गौतम अडानी से पूछा गया कि आप 7 - 8 साल में दुनिया के धनी व्यक्तियों की सूची में दूसरे नम्बर पर कैसे आ गयें ? तो गौतम अडानी का उत्तर था सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। गौतम अडानी से आपकी अदालत में पूछा गया कि बन्दरगाह पर कई बार नशीली वस्तुऐं अरबों रूपये की पकड़ाई तो कोई कार्यवाही क्यों नही की गई ? इस पर उत्तर था बन्दरगाह पर ऐसी वस्तुओं की जाँच करने के लिए हमारे पास कोई ऐजेन्सी नही है यह सरकार का काम है। प्रश्न किया गया आपको बन्दरगाह, हवाई अड्डे, सडक, गैस, कोयले की खदान, थर्मल पावर, जंगल की जमीन, सरकार के इशारों पर मिलती है, उत्तर था मैने सभी टेण्डर (निविदा) कानून का पालन करके लिया है, सरकार ने कानून शिथिल किये इसका कोई जिकर नही किया गया। किसान आन्दोलन के दौरान देश में यह आवाज उठी कि सरकार कम्पनी के इशारों पर काम कर रही है और तीन किसान विरोधी कानून भी सरकार ने कम्पनी के इशारों पर ही बनाऐ है, यह भी अडानी ने स्वयं सिद्ध कर दिया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने अडानी गुरप-हिंडबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो 2 माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखेगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी भी अपनी जांच जारी रखेगा यह भी निर्देश जारी किये है। स्पष्ट है कि मामला अब गौतम अडानी के सर के उपर से निकल चुका है।

गौतम अडानी के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 124- (क) राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा ऐसे व्यक्ति पर जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का, प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करन का प्रयत्न

करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या तीन वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सके या दण्डित किया जा सकेगा।

अडानी ने जिस तरीके से माॅरीसस, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका व अन्य राष्ट्रों से शेल कम्पनी बनाकर तथा शेयर में हेराफेरी करके अपनी पूँजी बढाने के लिए तथा थर्मल पाॅवर, हवाई अड्डे, सड़क, बन्दरगाह, बनाने के लिए जो सरकार से नियम बदलवाये तथा निविदा आमंत्रित करने के लिए जिस तरीके से नियम बदलवाये वह यह जनता था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जायेगी। तथा दुनिया के लोगों के सामने भारत के प्रति घृणा तथा अवमानना पैदा होगी, जानते हुए शेल कम्पनी बनाई तथा भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाने का प्रयास किया। गौतम अडानी इस बात को जानता है कि उसका बड़ा भाई विनोद अडानी की बेटी की शादी जतिन मेहता के लड़के के साथ हुई है, जतिन मेहता ने 14 सरकारी बैंकों का पैसा कर्ज में लेकर फरार हो गया। भारत के लोग यह नही जानते कि जतिन मेहता कहाँ है ? गौतम अडानी, विनोद अडानी, जतिन मेहता, मिलकर इस देश की प्रकृतिक सम्पदा को लूटने उसे नुकसान पहुँचाने तथा भारत की गरिमा को छिन्न भिन्न करने का काम किया गया है, माॅरीसस के 40 सेल कम्पनीयों में चीन के चैन चुन युग तथा विनोद अडानी संचालित कर रहे हैं तथा दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर आपनी पूँजी बढ़ाने में लगे है।

अडानी के खिलाफ सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, कपट पूर्वक सम्पत्ति अर्जित करने, कूट रचित दस्तावेज बनाने, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 4 एवं 15, मनी लाॅण्ड्रींग का मुकदमा पंजीबद्ध कर तत्काल जेल भेजा जाए तभी प्रकरणों की सही जाँच हो सकती है।

आराधना भार्गव

मोबा. 9425145991

मेल abhargava45@gmail.com